राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 3265/30-07-2015 तारीख रजू : 30-07-15 निर्णय दिनांक : 04-10-2023

उनवान

1. हजारी पुत्र श्री दीनिया उर्फ दीनाराम जाति चमार
2. पुनराम पुत्र श्री दीनिया उर्फ दीनाराम जाति चमार
3. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री गुट्टाराम जाति चमार
4. सुरेश पुत्र श्री गुट्टाराम जाति चमार
5. बलविन्दर पुत्र श्री गुट्टाराम जाति चमार
6. बीना पुत्री श्री गुट्टाराम जाति चमार सभी निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

............वादीगण

बनाम

1. धर्मदेवी पत्नी श्री घीसासिंह जाति राजपूत
2. सुरेश सिंह पुत्र श्री घीसासिंह जाति राजपूत
3. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री घीसासिंह जाति राजपूत
4. नरेश सिंह पुत्र श्री घीसासिंह जाति राजपूत
5. बिमला देवी पत्नी स्व. भीखासिंह जाति राजपूत
6. राकेश पुत्र श्री भीखासिंह जाति राजपूत सभी निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
7. पंकज गुप्ता पुत्र श्रीकिशन गुप्ता जाति महाजन
8. श्री प्रथन पुत्र श्री श्यामसुन्दर गुप्ता जाति महाजन
9. प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यप्रकाश गुप्ता जाति महाजन
10. संगीता गुप्ता पत्नी श्री सतीश कुमार गुप्ता जाति महाजन
11. राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रतनलाल गुप्ता जाति महाजन सभी निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
12. भूमि आवाप्ति अधिकारी डी.एन.आई.सी (सीएफटी) उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर राज0 ।
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
14. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

.......असल प्रतिवादीगण

15. रोशनलाल पुत्र श्री मामनसिंह जाति चमार निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
16. मीरा देवी पुत्री श्री मामनसिंह जाति चमार निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0ए0

ड अधिकारी (कोटपूतली-बहरोड़)

।। निणर्य ।।

वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हम वादीगण की आराजी खसरा नम्बर हाल 1734 रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना

मे स्थित है जो आराजी संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 1663मिन रकबा एक बिघा 4 बिस्वा, 1659 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा, 1660 रकबा 01 बिस्वा किता 3 रकबा 4 बिघा 01 बिस्वा से कायम हुऐ है तथा प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बरहाल 1772 रकबा 0.53 हैक्टर,1772/2265 रकबा 0.01 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1651 रकबा एक बिघा 15 बिस्वा से कायम हुये है व खसरा नम्बर हाल 1717 रकबा 0.33 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1673 रकबा 16 बिस्वा से कायम हुआ है व हाल खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.26 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1672 रकबा 15 बिस्वा से कायम हुये है। हम वादीगण की आराजी खसरा नम्बर साबिक 1663 मिन रकबा एक बिघा 4 बिस्वा, 1659 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा,1660 रकबा 01 बिस्वा किता 3 रकबा 4 बिघा 01 बिस्वा के हिसाब से उक्त खसरा नम्बरान का कायम शुदा खसरा नम्बर 1734 का रकबा 1. 01 हैक्टर बनना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो ने गलती व लापरवाही से 14 एयर रकबा कम करते हुऐ 0.87 हैक्टर कायम कर दिया गया तथा खसरा नम्बर हाल 1772 रकबा 0.53 हैक्टर,1772/2265 रकबा 0.01 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1651 रकबा एक बिघा 15 बिस्वा से कायम हुये है जिसका रकबा साबिक रकबा के मुताबिक रकबा 0.44 हैक्टर अंकित होना चाहिऐ था लेकिन 10 एयर रकबा हम वादीगण की आराजी का मिलाकर इसका कुल रकबा 0.54 हैक्टर अंकित कर दियागया व खसरा नम्बर हाल 1717 रकबा 0.33 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1673 रकबा 16 बिस्वा से कायम हुआ है जिसका हाल रकबा साबिक रकबा के मुताबिक 0. 20 हैक्टर होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो द्वारा 13 एयर रकबा बढाते हुऐ 33 एयर अंकित कर दिया गया जिसमे 02 एयर हम वादीगण की आराजी का मिला दिया गया इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.26 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1672 रकबा 15 बिस्वा से कायम हुये जिसका हाल रकबा साबिक रकबा के मुताबिक 19 एयर अंकित होना चाहिऐ था लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा 07 एयर रकबा बढाते हुये 26 एयर अंकित कर दिया गया । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो ने गलती व लापरवाही से हम वादीगण की आराजी का 14 एयर रकबा कम कर प्रतिवादीगण की आराजी मे बिना दिया गया । जो गलती बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो की होने के कारण हम वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसे हम वादीगण दुरूस्त करवाकर अपनी आराजी का रकबा साबिक रकबा के मुताबिक पूर्ति करवाने के अधिकारी है। इसके लिए हम वादीगण द्वारा अपनी आराजी का हाल व साबिक रिकार्ड की नकले लेकर, प्रतिवादीगण को उनकी आराजी के हाल गलत रकबा की जानकारी देकर प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का रकबा साबिक रिकार्ड के मुताबिक दुरूस्त करवाने एवं साबिक रकबा के मुताबिक ही मुआवजा राशि उठाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और हाल रिकार्ड के मुताबिक ही मुआवजा राशि उठाने की धमकी देने पर हम वादीगण प्रतिवादी सं0 12 भूमि आवाप्ति अधिकारी से मिले तो उन्होने भी आराजी मुतनाजा का मुआवजा का भुगतान हाल रिकार्ड के मुताबिक करने के लिए कहा है। इसलिए हम वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर, हम वादीगण की आराजी का रकबा साबिक रिकार्ड के मुताबिक दुरूस्त किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को हाल रिकार्ड मे दर्ज गलत रकबा के मुताबिक मुआवजा राशि नही उठाने हेतु हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये, प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 व 7 की ओर से बाद तामिल श्री राधेश्यामं यादव एडवोकेट उपस्थित हुऐ।

तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा खसरा नम्बर 1772,1772/2265 को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 02.03.2022 के बेचान कर दिया गया। जिस पर वादीगण द्वारा दावा मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 6 नियम 17 जा0दी0 पेश किया गया। जिसे न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पेश करने की इजाजत प्रदान की गई।

तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 द्वारा राजीनामा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। पक्षकारान की पहचान उनके आधार कार्ड से की जाकर राजीनामा तस्दीक किया गया।

हमने पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा अपने दावा मे खसरा नम्बर 1772, 1772/2265 वाके ग्राम गूगलकोटा मे 10 एयर भूमि वादीगण के खसरा नम्बर 1734 वाके गूगलकोटा मे दौराने बन्दोबस्त बैजा तोर पर शामिल किया का कथन करते हुऐ उक्त 10 एयर भूमि उक्त खसरा नम्बरान मे से कम कर उसे वादीगण के खसरा नम्बर 1734 मे शामिल किया जाने की रिलीफ चाही गई है। वादीगण द्वारा दावा से प्रतिवादी सं0 7 लगा. 12 के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाहने हुऐ दावा से प्रतिवादी सं0 7 लगा.12 का नाम डिलीट करवा दिये गये है। इसलिए दावा मात्र खसरा नम्बर 1772,1772/2265 के विरूद्ध रह गया और इन खसरा नम्बरान का 10 एयर रकबा साबिक रकबा के मुताबिक बढा हुआ है उसकी ऐवज मे वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 से मुब0 920,000/—रू0 जरिये चैक प्राप्त करना राजीनामा मे स्वीकृत किया है और भविष्य मे अपने बढे हुऐ रकबा की बाबत किसी प्रकार का क्लेम स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो द्वारा नही करने के लिए पाबन्द होते हुऐ राजीनामा पेश किया गया है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण के खसरा नम्बर 1734 का साबिक रिकार्ड के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे कम किया गया 10 एयर रकबा की पूर्ति की ऐवज मे वादीगण ने प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 से चुकता कीमत प्राप्त करली गई है और रिकार्ड मे रकबा की दुरूस्ती नही चाहते है। इसलिए वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना वहन करे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 द्वारा पेश राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04-10-2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

4/10/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना(अलवर) राज0

|| पर्चा डिक्री ||

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 3263 / 30-07-2015 तारीख रजू 30-07-15 निर्णय दिनांक : 04-10-2025

उनवान

1. हजारी पुत्र श्री दीनिया उर्फ दीनाराम जाति चमार
2. गुगनराम पुत्र श्री दीनिया उर्फ दीनाराम जाति चमार
3. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री गुट्टाराम जाति चमार
4. सुरेश पुत्र श्री गुट्टाराम जाति चमार
5. बलविन्दर पुत्र श्री गुट्टाराम जाति चमार
6. मीना पुत्री श्री गुट्टाराम जाति चमार सभी निवासी ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

............वादीगण

बनाम

1. धर्मदेवी पत्नी श्री भीमसिंह जाति राजपूत
2. सुरेश सिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत
3. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत
4. नरेश सिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत
5. विमला देवी पत्नी स्व. भीखासिंह जाति राजपूत
6. राकेश पुत्र श्री भीखासिंह जाति राजपूत सभी निवासी ग्राम गुगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
7. पंकज गुप्ता पुत्र श्रीकिशन गुप्ता जाति महाजन
8. श्री प्रथम पुत्र श्री श्यामसुन्दर गुप्ता जाति महाजन
9. प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यप्रकाश गुप्ता जाति महाजन
10. संगीता गुप्ता पत्नी श्री सतीश कुमार गुप्ता जाति महाजन
11. राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रतनलाल गुप्ता जाति महाजन सभी निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
12. मुख्य आवाप्ति अधिकारी री.एस.आई.डी.सी (रीको) उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर राज0 ।
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
14. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

......असल प्रतिवादीगण

15. रोशनलाल पुत्र श्री मामनसिंह जाति चमार निवासी ग्राम गुगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
16. मीरा देवी पुत्री श्री मामनसिंह जाति चमार निवासी ग्राम गुगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

....तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0ए0

|| पर्चा डिक्री ||

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 द्वारा पेश राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना(अलवर) राज0